



Neutral Citation No.2026:AHC:1198

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38712 वर्ष 2025

प्रेम चंद पटेल और एक अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: विजय कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, गणेश शंकर श्रीवास्तव, रविशंकर कनौजिया

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदकों के अधिवक्ता श्री विजय कुमार पांडे और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री गणेश शंकर श्रीवास्तव के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह की बात सुनी और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-241 वर्ष 2025, बी.एन.एस., की धारा 191(2), 191(3), 103(1), 3(5), 115(2), 351(2), 352, 109(1) थाना-सुजानगंज, ज़िला: जौनपुर के तहत ज़मानत मांगते हैं।
4. आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिशोध के कारण आवेदकों को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। बाद में सूचनाकर्ता के बयान में उनके नाम बाद में विचार के रूप में सामने आए हैं।
5. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 3.9.2025 से जेल में बंद हैं और वे मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदकों को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
6. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि उक्त आवेदन जो प्राथमिकी का आधार है, अस्पष्ट है क्योंकि सूचनाकर्ता ने उक्त आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि उसने एसपी जौनपुर के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि आवेदक अपराध करने में शामिल थे और उन्होंने स्वयं उन्हें मूल प्राथमिकी में नामित किया था। यह भी तर्क दिया जाता है कि आवेदक संख्या-2 की ओर इशारा करते हुए कुल्हाड़ी और लाठी की बरामदगी हुई है। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकते थे कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।



7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदकों का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उनके नाम बाद में सामने आए हैं, प्रथम दृष्टया, मुझे आवेदकों को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदकों- प्रेम चंद पटेल और सोनू पटेल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 6, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)